



प्रेस नोट 01- दिनांक 04.11.2023

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

• 03 किलोग्राम गांजा के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को 03 किलोग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 04.11.2023 को उ०नि० श्री कृष्णकांत मय हमराह फोर्स द्वारा शुक्लागंज रेलवे पुल के नीचे से अभियुक्तगण 1.अंकित कश्यप पुत्र दिलीप कश्यप निवासी पुराना पुल के नीचे मिश्रा कालोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 27 वर्ष 2.सोनू पुत्र मूलचन्द्र बाल्मीकी निवासी नया पुल के नीचे सीताराम कालोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 26 वर्ष को कब्जे से 03 किलोग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर क्रमशः मु०अ०सं० 655/2023 धारा 08/20 NDPS ACT व मु०अ०सं० 656/2023 धारा 08/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- 1.अंकित कश्यप पुत्र दिलीप कश्यप निवासी पुराना पुल के नीचे मिश्रा कालोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 27 वर्ष
- 2.सोनू पुत्र मूलचन्द्र बाल्मीकी निवासी नया पुल के नीचे सीताराम कालोनी थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

03 किलोग्राम गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्रीकृष्णकान्त
2. का० सचिन यादव
3. का० प्रशान्त सिंह
4. का० राघवेन्द्र गुर्जर
5. का० गिरीश कुमार





प्रेस नोट 02- दिनांक 04.11.2023

थाना आसीवन, जनपद उन्नाव।

- **टप्पेबाजी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया गया।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस टीम द्वारा टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- प्रार्थी रामनारायन पुत्र श्रीकेशन नि०ग्राम रमपुरवा मजरा मऊ थाना आसीवन जिला उन्नाव द्वारा थाना आसीवन पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 27.10.2023 को वह कन्जे चौराहा कस्बा हैदराबाद में खड़ा था तभी कि वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति आया, जिसने मुझसे डाकघर के बारे में पूछा और बताया कि वह बिहार का रहने वाला हूँ, पाइप डालने के लिये नाली बनाते समय चांदी के 40 सिक्के व एक किलो सोना मिला है। उसे बेचवा दो और बोला कि एक लाख रुपये दो 40 चांदी के सिक्के व एक किलो सोना आपको दे दूंगा। मेरा मोबाइल न० लिया और बताया कि मैं जहां बुलाऊंगा वहां पैसे लेकर आना। अगले दिन मेरे पास मो०नं० 8756318581 से फोन आया और बताया कि HP पेट्रोल पम्प के पास चले वही पर खड़े हैं मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग वहां पहुंचे, तो वहां पर दो मोटर साइकिल से तीन आदमी व एक औरत मौजूद थे। जिन्होंने एक पीले झोले में भरा सामान हमको दिया और मुझसे पैसे का झोला ले लिया और लखनऊ की तरफ चले गये। जिस मोटर साइकिल से गये थे, उसका नम्बर UP 32 NW 0280 था। थोड़ी देर बाद मैंने झोले को चेक किया, तो उसमें सिक्के नहीं थे और पीले धातु की चैन मिली, जिसको हम लोगों ने सुनार के यहाँ दिखाया तो पता चला कि यह माल नकली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसीवन पर मु०अ०सं० 231/2023 धारा 420/406 I.P.C पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.11.2023 को उ०नि० श्री राजीव कुमार सिंह भदौरिया मय हमराह फोर्स एवं स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा मय हमराह स्वाट टीम व हे०का० अब्दुल जब्बार सर्विलांस टीम द्वारा रसूलाबाद रोड से 1. दीप राय पुत्र मोहन राय निवासी ग्राम बदाली खेड़ा निकट राधा कृष्ण मन्दिर थाना

सरोजनी नगर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष, 2.विशाल राय पुत्र अर्जुन राय निवासी लाला स्कूल के पीछे C/O शान्ता कस्वा व थाना बन्थरा जिला लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष 3. बोखला पत्नी अर्जुन निवासी राधा कृष्ण लाला स्कूल के पीछे C/O शान्ता थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र करीब 38 वर्ष को हिरासत में लिया गया व एक बाल आपचारी को नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण के कब्जे से करीब 01 किलो 518 ग्राम की पीली धातु की चैनें, 02 अदद गले में पहनने वाली माला पीली धातु वजन करीब 05 ग्राम, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु , 01 अदद चांदी का सिक्का, 03 अदद मोबाइल, 02 अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, नगद 12700 / रुपया नगदी बरामद हुआ। तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लेते हुए विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- 1.दीप राय पुत्र मोहन राय निवासी ग्राम बदाली खेड़ा निकट राधा कृष्ण मन्दिर थाना सरोजनी नगर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष ।
- 2.विशाल राय पुत्र अर्जुन राय निवासी लाला स्कूल के पीछे C/O शान्ता कस्वा व थाना बन्थरा जिला लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष ।
3. अभियुक्ता बोखला पत्नी अर्जुन निवासी राधा कृष्ण लाला स्कूल के पीछे C/O शान्ता थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र करीब 38 वर्ष ।

पुलिस संरक्षण-

एक बाल अपचारी ।

बरामदगी का विवरण-

1. चैन पीली धातु वजन करीब 01 किलो 518 ग्राम
- 2 .02 अदद गले में पहनने वाली माला पीली धातु वजन करीब 05 ग्राम
3. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
4. 01 अदद चांदी का सिक्का
5. 03 अदद मोबाइल
6. 02 अदद घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल
7. नगद 12700 / रुपया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह भदौरिया
हे0कां0 उमेश सैनी
कां0 रवीन्द्र यादव

कां० रितेश पटेल
कां० कां० पप्पू प्रजापति
कां० विकाल कुमार
म०कां० कीर्ती सिंह

स्वाट टीम-

प्र०निरी० श्री विनोद कुमार मिश्रा
हे०कां० आशीष मिश्रा
हे०कां० सतेन्द्र कुमार
हे०कां० सुनील कुमार
का० गौरव कुमार
कां० विकास भदौरिया
कां० रवि कुमार

सर्विलांस टीम-

हे०का० अब्दुल जब्बार





प्रेस नोट 03- दिनांक 04.11.2023

थाना हसनगंज ,जनपद उन्नाव ।

● अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 04.11.2023 को उ०नि० श्री थान सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मुन्सीखेड़ा पुलिस के पास से अभियुक्त अजय सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह नि०ग्राम कुरौली थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हसनगंज पर मु०अ०सं० 345/2023 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अजय सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह नि०ग्राम कुरौली थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री थान सिंह थाना हसनगंज, उन्नाव ।
2. का० शाहेआलम थाना हसनगंज, उन्नाव ।





प्रेस नोट 04- दिनांक 04.11.2023

थाना औरास ,जनपद उन्नाव ।

• वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना औरास पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 04.11.2023 को उ०नि० श्री इरफान अहमद मय हमराह फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्त राहुल पुत्र मुंशीलाल निवासी ग्राम इनायतपुर थाना औरास जनपद उन्नाव उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

राहुल पुत्र मुंशीलाल निवासी ग्राम इनायतपुर थाना औरास जनपद उन्नाव उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01.उ०नि० श्री इरफान अहमद

02.का० अनुपम सिंह





प्रेस नोट 05- दिनांक 04.11.2023

थाना अचलगंज ,जनपद उन्नाव ।

● चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल हीरो हॉण्डा स्प्लेन्डर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.11.2023 को राजन पुत्र छोटेलाल गुप्ता नि० अचलेश्वर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा थाना अचलगंज पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 01/02.11.2023 की रात्रि में मेरे घर के बाहर से अज्ञात चोरों द्वारा मेरी हीरो हॉण्डा मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० मु०अ०सं० 247/23 धारा 379 IPC पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.11.2023 को थानाध्यक्ष श्री प्रशान्त द्विवेदी व व०उ०नि० श्री बृजेश कुमार यादव मय हमराह फोर्स द्वारा रेलवे क्रासिंग पुरवा बेहटानथई सिंह मार्ग से अभियुक्त अर्जुन पुत्र सीताराम लोध निवासी ग्राम सकटूखेड़ा मजरा नेवरना थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी की उपरोक्त मोटरसाइकिल नं० UP 35N 4699 बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा०दं०वि० की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

अर्जुन पुत्र सीताराम लोध निवासी ग्राम सकटूखेड़ा मजरा नेवरना थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की एक अदद हीरो होण्डा स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री प्रशान्त द्विवेदी
- 2.व०उ०नि० बृजेश कुमार यादव
- 3.का० प्रवीण चौरसिया
- 4.का० विवेक मौर्या
- 5.का० लवकुश यादव

